



पत्रांक संख्या 21-U-36/28/14/02/MACP/12M.A.चि.स्था.

दिनांक: 16-01-2026

कार्यालय आदेश संख्या 4 वर्ष 2026

दिनांक 15.01.2026 को आयोजित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर सक्षम अधिकारी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित रेडियोग्राफर कार्मिक को एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन की मंजूरी प्रदान की है।

| क्रमांक | कर्मचारी का नाम, पद नाम एवं कर्मचारी संख्या (सर्व श्री/श्रीमती/कु.) | वर्तमान तैनाती स्थान | देय वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर | क.रा.बी.निगम में कार्यग्रहण की तिथि | देय तिथि जब से प्रथम वित्तीय उन्नयन की अनुशंसा की गई |
|---------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. | श्री मनोज कुमार सिंह, रेडियोग्राफर, 146376 | क.रा.बी.नि.अस्पताल, लखनऊ | लेवल-4 | 23.03.2011 | 23.03.2021 |

एम.ए.सी.पी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन एम.ए.सी.पी पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/एफ.ए.क्यू (सामान्य प्रश्न) के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19.05.2009 में उल्लिखित नियम एवं शर्तें तथा तदन्तर इस विषय पर मुख्यालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अधीन होगा।

नियमित पदोन्नति पर मिलनें वाले वेतन निर्धारण का लाभ एम.ए.सी.पी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय भी देय होगा।

कार्मिक वेतन निर्धारण के लिए (यदि कोई हो) एफ.आर.22(1) (ए) (1) के तहत इस आदेश के जारी होने की तिथि से 1 महीने के अंदर अपना विकल्प देने के हकदार होंगे। वेतन तथा वेतन वृद्धि की तिथि सी.सी.एस.(आर.पी.) नियम 2016 के नियम 10 के अनुरूप निर्धारित की जायेगी।

सहायक निदेशक (चि.प्र.)

प्रतिलिपि :-

1. सबधित कर्मचारी को उनके नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से।
2. महानिदेशक (चिकित्सा-6) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. शाखाधिकारी सतर्कता शाखा/पीए सेल क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
5. व्यक्तिगत पत्रावली।
6. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
7. शाखाधिकारी आई.टी.सेल क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस कार्यालय आदेश को क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर की वेबसाईट पर अपलोड कराए।